दूरभाष: 0522-2839108

कार्यालय
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उत्तर प्रदेश
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0

प्लाट नं0–18, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ।

Website http:// www.smcg-up.org /E-mail: apd@smcg-up.org

पत्र संख्या–1037/7-02-C/ SMCG-UP/01 दिनांक 08/09/2023

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला गंगा समिति,
जनपद–पीलीभीत, चित्रकूट, रायबरेली, मिर्जापुर, एवं फतेहपुर।

विषयः–"साइकल रेस" के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के पत्र संख्या C-10/2015-16/1192/NMCG (I) दिनांक 25.07.2023 द्वारा गंगा नदी को अविरल व निर्मल बनाने में जन–जागरूकता व सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के जनपदों में पीलीभीत, चित्रकूट, रायबरेली, मिर्जापुर, एवं फतेहपुर " गंगा साइकल रन " आयोजित किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

साइकल रेस के सफल आयोजन हेतु निम्नवत् सुझाव दिये जाते है :–

1. "साइकल रेस" निर्धारित दूरी पर अध्यक्ष, जिला गंगा समिति द्वारा निर्देश दिया जाना है।
2. " साइकल रेस " को झण्डा दिखाने तथा पुरस्कार एवं सर्टिफिकेट,वितरण के लिए जनपद के गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाए।
3. इस कार्यक्रम में स्कूल, विश्वविद्यालय, एन.सी.सी. के छात्रों / मीडिया / पुलिस / वन विभाग / कीडा विभाग के अधिकारियों तथा गंगा से सम्बंधित स्टेकहोल्डर गंगा मित्र, गंगा प्रहरी, गंगा दूत आदि सहित शहर के महत्वपूर्ण सामाजिक संगठनों यथा सिविल डिफेन्स, रोटरी क्लब, आदि को सहभागिता के लिए आमंत्रित किया जाए।
4. "साइकल रेस " के प्रतिभागियों को टी–शर्ट्स एवं कैप्स का वितरण किया जाना है।
5. प्रतिभागियों के अल्पाहार व पेय जल की समुचित व्यवस्था की जाए।
6. "साइकल रेस " को सफल बनाने हेतु नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो, मैजिक शो होर्डिंग्स, बैनर्स के साथ स्थानीय लोक कलाकारों के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में नगर समुदाय को सहभागी बनाया जाए।
7. इस उपलक्ष्य में 02 विज्ञापन (एक विज्ञापन साइकल रेस के एक दिन पहले तथा दूसरा कार्यक्रम के दिन) प्रमुख अखबारों (हिन्दी एंव अंग्रजी) में दिया जाए जिससे अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़ सके। कार्यक्रम में स्थानीय प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया का सहयोग लिया जाए।
8. कार्यक्रम की हाई–रिज़ॉल्यूशन फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी इत्यादि करायी जाए।
9. प्रचार–प्रसार हेतु होर्डिंग्स एवं बैनर अधिष्ठापित किये जायें।
10. " साइकल रेस " के लिए तिथि निर्धारित करते हुये मार्ग का विवरण (रूट मैप) प्रारम्भ व अंतिम स्थल, समय तथा आमंत्रित किये जाने वाले मुख्य अतिथि का नाम आदि का विवरण अनिवार्य रूप से एक सप्ताह पूर्व में राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0 को उपलब्ध करायें, ताकि एस0एम0सी0जी0 के अधिकारियो द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जा सके।

उपरोक्त गतिविधियाँ मात्र परामर्शी प्रकृति की हैं। इनमें स्थानीय आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार प्रकिया अपनाते हुए सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु प्रत्येक जनपद को रू0 1.00 लाख की धनराशि अनुमोदित है, जिसका भुगतान टी0एस0ए0 प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा। साइकल रेस के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर कार्यक्रम की हाई–रिज़ॉल्यूशन फोटोग्राफ तथा वीडियो सहित विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रवीण मिश्र)
विशेष सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण
जलापूर्ति विभाग/अपर परियोजना निदेशक,
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी, नमामि गंगे कार्यक्रम।
2. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति।

विशेष सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण
जलापूर्ति विभाग/अपर परियोजना निदेशक,
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0।